तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	[illegible] उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी व प्रार्थना पत्र सी. आई. सुनी गई, वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 20-04-23 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, [illegible]
20.04.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र वास्ते दस्तावेजात पेश करवाये जाने हेतु अन्तर्गत आदेश 151 सीपीसी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी/प्रार्थी ने अवगत कराया कि वादी/प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पुराने भूमि खसरा नम्बर 1610 रकबा 0.02 है0 तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है, जिसके प्रार्थी व अन्य खातेदार काबिज काश्तकार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार दर्ज हैं। उक्त वर्णित भूमि के दक्षिण तरफ सटाकर भूमि ख0न0 1661/3528 रकबा 2.05 है0 तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित हैं। उक्त वर्णित भूमियां आपस में सीवजोड है तथा उक्त दोनों भूमियां आपस में मौके पर मिली हुई हैं। उक्त दोनों भूमियों के मध्य मौके पर कोई अलग–अलग सीव–नीव व कोई स्थायी सीमा चिन्ह् मौके पर नही हैं। जिससे उक्त दोनों भूमियां मौके पर अलग–अलग दर्शित नही होकर एक ही पाटी के रूप में होकर दर्शित हैं। जिससे दोनो पक्षों के मध्य आपसी सीमा तय नहीं होने से दोनों पक्षों के मध्य सीमा विवाद हैं। इसी कारण मौके पर दोनों पक्षों की भूमियां जो मौके पर स्थायी सीमा चिन्ह् के अभाव में आपस मे अलग–अलग दर्शित नही हैं। इसी कारण किसी राजस्व अधिकारी यथा गिरदावर हल्का महरोली के द्वारा प्रार्थी व अन्य खातेदारान की भूमि ख0न0 1610 रकबा 0.02 है0 तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर की मौके पर वास्तविक नाम जोख करवायी जाने का आदेश दिया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है ताकि उक्त विवाद का [illegible] दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न विवाद का [illegible] होकर दोनो पक्षों के मध्य [illegible] खर्चा प्रार्थी वहन [illegible] का को मध्यनजर रखते हुए राजस्व अ[illegible]री यथा गिरदावर हल्का प्रार्थी व अन्य खातेदारान की भूमि वास्तविक निशादेही कराया जाने हेतु राजस्व अधिकारी को मौके पर भेजे जाने का आदेश दिया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.11 12:13:05 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अधिकारी यथा गिरदावर हल्का महरोली से भूमि ख0न0 1610 रकबा 0.02 है0 तन् ग्राम महरोली की निशादेही करवाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया है। वही दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण / अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अवगत कराया कि कृषि भूमि खसरा 1610 रकबा 0.02 है0 महरोली तहसील श्रीमाधोपुर हाल जमाबंदी में वादी मूलसिंह पुत्र दीपसिंह राजपुत का केवल अविभाजित हिस्सा 1/45 अंकित हैं तथा विवादित भूमि का विभाजन होने की सुरत में प्रार्थी मुलसिंह को केवल 4.44 वर्गमीटर भूमि विभाजन में प्राप्त होती है। भूमि खसरा 1610 रकबा 0.02 है0 महरोली तहसील श्रीमाधोपुर के उत्तर दिशा में भूमि ख0न0 1611 रकबा 0.37 है0 वाकै महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित हैं। जिसकी खातेदारी रघुवीर सिंह पुत्र रूडसिंह जाति राजपुत के नाम दर्ज हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी हैं तथा विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने से पूर्व उपरोक्त स्वर्गीय रघुवीर सिंह के वारिसान को भी व खसरा 1610 रकबा 0.02 है0 महरोली तहसील श्रीमाधोपुर के पश्चिम दिशा में ख0न0 1609 रकबा 1.22 है0 वाकै ग्राम छिलावाली ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित हैं। जिसकी खातेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हैं तथा जिसकी किश्म गैर मुमकिन सडक दर्ज हैं। परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी व खसरा 1610 रकबा 0.02 है0 महरोली तहसील श्रीमाधोपुर के उत्तरी–पूर्वी दिशा में भूमि ख0न0 1622/1 रकबा 0.8450 है0 ग्राम छिलावाली ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित हैं। जिसकी खातेदारी धापु देवी पत्नी भोमाराम बलाई के नाम दर्ज हैं। जिनकों प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के तहत सुना जाना आवश्यक हैं। कृषि भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने की अधिकारिता तहसीलदार में निहित हैं एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया है, जो क्षेत्राधिकार के अभाव में पौषणीय नहीं हैं। सीमाज्ञान के उपरान्त पत्थरगढ़ी का आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा [illegible] के तहत पारित किया जाता है [illegible] जाने से पूर्व उक्त आशय का प्रार्थना पत्र [illegible] के न्यायालय में दर्ज होता हैं। जिस पर प्रश्नगत भूमि [illegible] समस्त खातेदारों को सुनवाई का मौका दिए जाने के साथ–साथ प्रश्नगत भूमि की चारो दिशाओं में स्थित भूमियों के सभी खातेदारानों को भी सुनवाई का मौका दिए जाने के उपरान्त न्यायिक आदेश पारित किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनिय है कि हस्तगत मामला राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज नहीं हैं अपितु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.11 12:13:05 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

दर्ज है। जिसमें प्रश्नगत भूमि ख0न0 1610 के समस्त खातेदारान के साथ–साथ उक्त प्रश्नगत भूमि के चारो दिशाओं में स्थित भूमियों के खातेदारान पक्षकार नहीं है। उक्त विवादित भूमि ख0न0 1610 रकबा 0.02 ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के पश्चिम दिशा में गैर मुमकिन सडक स्थित हैं। जिसकी खातेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है एवं जिसका ख0न0 1609 रकबा 1.22 है0 वाके ग्राम छिलावाली ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर है। मौके पर मौजूद उक्त सडक की चौडाई लगभग 28 मीटर हैं। उपरोक्त सडक राज्य राजमार्ग बनाये जाने के लिए प्रस्तावित हैं। राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप–9/भूमि रूपांतरण) विभाग के परिपत्र कमांक–प.2(63) राजस्व–9/भू0रू0/2021 जयपुर दिनांक 18.11.2021 जो शासन उप सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है के द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत समपरिवर्तन राज्य राजमार्ग के केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन की दूरी 40 मीटर होगी जिसके भीतर आने वाली भूमि समपरिवर्तन योग्य नहीं रहेगी एवं उपरोक्त केंद्र बिंदू से कन्ट्रोल लाईन की दूरी जहां तक भवन निर्माण सकियाओं को नियंत्रित किया जाता हैं 75 मीटर होगी। विवादित भूमि ख0न0 1610 के पश्चिम दिशा में स्थित गैर मुमकिन सडक के केंद्र बिंदु से पूर्व दिशा की ओर 40 मीटर को नापा जावें तो ख0न0 1610 का संपूर्ण रकबा इस जद में आ जाता हैं। इसलिए भूमि ख0न0 1610 समपरिवर्तन किए जाने योग्य नहीं है तथा उक्त भूमि निकट भविष्य में राज्य राजमार्ग के लिए अवाप्त की जानी हैं। उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं हैं। जिसको खारीज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के द्वारा अपनी बहस में किया गया है।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ध्यानपूर्वक सुनी। बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है [illegible] गए वादपत्र व प्रार्थना पत्र में भूमि ख0न0 [illegible] रकबा 0.02 है0 के सभी खातेदारान व चारो दिशाओं के [illegible]दारों को पक्षकार नहीं बनाया जाना प्रकट होता है। उक्त विवादित भूमि ख0न0 1610 रकबा 0.02 ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के पश्चिम दिशा में गैर मुमकिन सडक स्थित हैं। जिसकी खातेदारी जमाबंदी के अनुरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.11 12:13:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

होना प्रकट होता है एवं जिसका ख0न0 1609 रकबा 1.22 है0 ग्राम छिलावाली ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर है। मौके पर मौजूद उक्त सडक की चौडाई लगभग 28 मीटर हैं। उपरोक्त सडक राज्य राजमार्ग बनाये जाने के लिए प्रस्तावित होना उक्त परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप–9/भूमि रूपांतरण) विभाग के परिपत्र कमांक–प.2(63) राजस्व–9/भू0रू0/2021 जयपुर दिनांक 18.11.2021 जो शासन उप सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है के द्वारा प्रकट होता हैं। इस परिपत्र में यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत समपरिवर्तन राज्य राजमार्ग के केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन की दूरी 40 मीटर होनी चाहिए, जिसके भीतर आने वाली भूमि समपरिवर्तन योग्य नहीं रहेगी एवं उपरोक्त केंद्र बिंदू से कन्ट्रोल लाईन की दूरी जहां तक भवन निर्माण सकियाओं को नियंत्रित किया जाता हैं की दूरी 75 मीटर होनी चाहिए। विवादित भूमि ख0न0 1610 के पश्चिम दिशा में स्थित गैर मुमकिन सडक के केंद्र बिंदु से पूर्व दिशा की ओर 40 मीटर को नापा जावें तो ख0न0 1610 का संपूर्ण रकबा इस जद में आ जाना राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप–9/भूमि रूपान्तरण) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18.11.2021 के आधार पर प्रकट होता हैं। अतः ऐसी स्थिति में वकील वादी/प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

अतः वकील वादी/प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है। प्रकरण में बहस टी0 आई हेतु वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में बहुपक्षीय सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वी[illegible] की जाती है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्था[illegible] निषेधाज्ञा का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रा[illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखि[illegible] दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.11 12:13:05 IST
Reason: SelfAttested

20/04/23
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
89 / 2022	2022 / 331	10.10.2022	20.04.2023

उनवान प्रकरण

मूलसिंह पुत्र धीरसिंह आयु 60 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम गुढ़ा तन् जैतुसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रार्थी

बनाम्

1. कृष्णा देवी पत्नी वासुदेव आयु 70 वर्ष
2. शीतल कुमार पुत्र वासुदेव आयु 50 वर्ष
3. सुजित कुमार पुत्र वासुदेव आयु 45 वर्ष समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण शर्मा जी वाला कुंआ तन् महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
4. पटवारी पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
5. उपपंजियक श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

———अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।

श्री रणवीर सिंह शेखावत, एड0 अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.11 12:13:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, [illegible]

—:: निर्णय ::—

20/04/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि ख0न0 1610 रकबा 0.02 है0 तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसका प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान काबिज खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबंदी अनुसार हैं। भूमि ख0न0 1661/3528 रकबा 2.05 है0 तन ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसके अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 खातेदार राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबंदी अनुसार दर्ज हैं। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की उक्त वर्णित भूमियां आपस में सीवाजोड़ है तथा उक्त दोनो भूमियां आपस में मौके पर मिली हुयी हैं। जिनके मध्य मौके पर कोई अलग से सींव–नीव व कोई स्थायी चिन्ह् मौके पर नहीं हैं। जिससे उक्त दोनो भूमियां मौके पर अलग–अलग दर्शित नहीं होकर एक ही पाटी बनी हुयी हैं। इसी का नाजायज फायदा उठाते हुये अप्रार्थीगण, प्रार्थी एव अन्य सहखातेदारान की खातेदारी भूमि को नाजायज रूप से हड़प करने की मंशा रखते हैं। जिसका उन्हे कोई अधिकार किसी किश्म का नहीं हैं। प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान ने अप्रार्थीगण को उनकी भूमि का सीमाज्ञान कराकर वास्तविक रूप से सीमाबंदी कायम किये जाने के उपरान्त ही आप अपनी भूमि का बैचान आदि करे ताकि दोनो पक्षो के मध्य किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न नही हो परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की बात नही मानते हुये स्पष्ट धमकी दी कि हम तो हमारे जो जचेगी वो करेगें तथा हम हमारी जमीन के साथ तुम्हारी भूमि पर भी भूमाफिया लोगो का जबरन कब्जा कराकर रहेगें, तुम्हारे जचे सो करो प्रार्थी अकेला व कमजोर व्यक्ति हैं। अप्रार्थीगण राजनैतिक असरदार वाले व्यक्ति हैं। उनसे प्रार्थी काफी भयभीत हैं। इस कारण प्रार्थी न्यायालय हाजा में शरण लेकर अपने अधिकारो की सुरक्षार्थ न्यायालय हाजा के समक्ष वाद दायर किया जाना ही उचित समझता हैं। इस कारण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 प्रार्थी व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की उक्त वर्णित भूमि के अन्य सहखातेदारन से अकारण ही रंजिश रखते हैं। इसी रंजिश से वशीभूमि होकर उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.11 12:13:05 IST
Reason: SelfAttested

20/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

को उक्त भूमि को जबरन बिना किसी हक अधिकार के हडप करने की मंशा रखते हुये ते प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की उक्त वर्णित भूमि को दीगर भूमाफिया लोगो को बैचान एवं अन्तरण आदि कर प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारन की भूमि पर जबरन साथ ही कब्जा आदि कर प्रार्थी को भूमि से जबरन बेदखल करने की मंशा रखते हैं। इसी कारण प्रार्थी उक्त लोगो को इस हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का विधिक अधिकारी है तथा उन्हे इस गलत व अवैध कार्यवाही हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित मे अति आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा 28.09.2022 को प्रार्थी को एहलानिया धमकी दी हैं कि हम हमारी भूमि को शीघ्र ही भूमाफिया लोगो को बैचान व अन्तरण आदि साथ ही तुम्हारी भूमि पर जबरन भूमाफिया लोगो को कब्जा कराकर भूमि को खुर्द–बुर्द कर तुम्हे भूमि से बेदखल करके रहेगें। कहने व समझााने से उक्त अप्राथीगण मान नहीं रहे हैं तथा मौके पर शांतिभंग होकर किसी अप्रिय घटना के घटने की प्रबल आशंका हैं। इस कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेंधाज्ञा पेश करना लाजिम आया हैं। प्रथम दृष्टवा मामला सुविधा का संतुलन अपूर्णनीय क्षति का सिद्धांत बखुबी प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त बेजा मकसद में कामयाब हो जावेगें तो प्रार्थी को इस कदर क्षति होगी। जिसकी पूर्ति होना किसी भी सूरत में बाद में संभव नहीं होगी। इस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक व न्यायोचित हैं। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 को मय परिवारजन, एजेन्ट सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधिता–दौराने वाद जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे भूमि ख0न0 1610 रकबा 0.02 है0 व भूमि ख0न0 1661/3528 रकबा 2.05 है0 तन ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का बिना सीमाज्ञान के किसी दिगर भूमाफिया लोगो को किसी भी तरीके से अन्तरण, विकय व किसी भी तरीके से [illegible] नही करें तथा प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की भूमि ख0न0 1610 रकबा 0.02 है0 के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत, मदाखलल उत्पन्न नहीं करें, ना ही दीगर से करावे, ना ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.11 12:13:05 IST
Reason: SelfAttested

20/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भी प्रकार की मजाहमत पैदा हो सके, ना ही दीगर से करावें तथा अप्रार्थीगण नम्बर 4 से 6 को पाबंद फरमाया जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया जाकर अप्रार्थीगण को तादौराने दावा न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में की गई है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 3 की ओर से श्री रणवीर सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 6 की नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर दिये जाने तथा अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण को अन्तिम बहस में लिया गया। वकील अप्रार्थीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील प्रार्थी ने बहस हेतु सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति पर प्रकरण को बहस हेतु नियत किया जाकर बहस सुनी गई।

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमियॉ प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी 1610 रकबा 0.02 है0 तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसका प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान काबिज खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबंदी अनुसार हैं। भूमि ख0नं0 1661 [illegible] रकबा 2.05 है0 तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सी[illegible] में सीवाजोड़ है तथा उक्त दोनो भूमियां आपस में [illegible] मिली हुई है। जिनके मध्य मौके पर कोई अलग से सींव–नींव व कोई स्थायी चिन्ह मौके पर नहीं है। जिससे उक्त दोनो भूमियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.11 12:13:05 IST
Reason: SelfAttested

20/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

मौके पर अलग–अलग दर्शित नही होकर एक ही पाटी बनी हुयी है। इसी का नाजायज फायदा उठाते हुये अप्रार्थीगण, प्रार्थी एव अन्य सहखातेदारान की खातेदारी भूमि को नाजायज रूप से हड़प करने की मंशा रखते है। जिसका उन्हे कोई अधिकार किसी किस्म का नही है। प्रार्थी व अन्य सहखातेदारन ने अप्रार्थीगण को उनकी भूमि का सीमाज्ञान कराकर वास्तविक रूप से सीमाबंदी कायम किये जाने के उपरान्त ही आप अपनी भूमि का हैचान आदि करे ताकि दोनो पक्षो के मध्य किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न नही हो परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की बात नही मानते हुये स्पष्ट धमकी दी कि हम तो हमारे जो जचेगी वो करेगें तथा हम हमारी जमीन के साथ तुम्हारी भूमि पर भी भूमाफिया लोगो का जबरन कब्जा कराकर रहेगें, तुम्हारे जचे वो करो प्रार्थी अकेला व कमजोर व्यक्ति हैं। इसलिए अप्रार्थीगण को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा जारी अंतरीम स्थगन आदेश दिनांक 10.10.2022 को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक कंफर्म किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगणों ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 1661/3528 रकबा 2.05 है0 के अप्रार्थीगण/उत्तरदातागण नम्बर 1 ता 3 काबिज खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण/उत्तरदातागण नम्बर 1 ता 3 अपनी खातेदारी भूमि पर पुख्ता मकानात बनाकर परिवार सहित रिहायश करते चले आ रहे हैं तथा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 अपनी खातेदारी भूमि पर फसल काश्त कर रखी हैं। जिनमें प्रार्थी का कोई सरोकार किसी किश्म का नहीं हैं। प्रार्थी ने स्थायी निषेधाज्ञा का वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया हैं। जिसमें अन्य खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया हैं। जिससे उक्त वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं हैं। अप्रार्थीगण/उत्तरदातागण 1 ता 3 की भूमि खसरा 1661/3528 रकबा 2.05 है0 तन् ग्राम नहरोली से प्रार्थी का कोई सरोकार किसी किश्म का नहीं है। जमीनो की कीमते काफी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.11 12:13:05 IST
Reason: SelfAttested

20/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, आमाभोपुर

बढ जाने के कारण प्रार्थी के मन में बेईमानी व लालच आ गया हैं तथा अप्रार्थीगण/उत्तरदातागण पर दबाव बनाने के लिये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया हैं। जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं हैं। प्रथम दृष्टवा ही खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण/उत्तरदातागण को हैरान व परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय को मुगालता मे रखकर पेश किया गया हैं। जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं हैं। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी बहस में किया है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, नक्शा ट्रैस का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि ख0न0 1661/3528 रकबा 2.05 है0 के अप्रार्थीगण/उत्तरदातागण नम्बर 1 ता 3 का काबिज खातेदार काश्तकार तथा अपनी खातेदारी भूमि पर पुख्ता मकानात बनाकर परिवार सहित रिहायश करते चले आना प्रकट होता हैं। अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर फसल काश्त करना व उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा होना प्रदर्शित होता हैं। भूमि ख0न0 1661/3528 रकबा 2.05 है0 पर प्रार्थी का कोई सरोकार किसी किश्म का नहीं होना स्पष्ट होता हैं। चूंकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है, उसमें भूमि ख0न0 1610 रकबा 0.02 है0 सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया जो उक्त वादपत्र व प्रार्थना पत्र टी0आई0 से प्रकट होता हैं। भूमि ख0न0 1610 रकबा 0.02 है0 प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के नाम व भूमि ख0न0 1661/3528 रकबा 2.05 है0 अप्रार्थीगण/उत्तरदातागण के नाम जमाबंदी के अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता हैं। उक्त दोनो खसरा नम्बरान में जमाबंदी के अनुसार अलग–अलग खातेदारों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.11 12:13:05 IST
Reason: SelfAttested

20/04/23
दिलीप सिं...
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना प्रतित होता है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टवा ही खारिज किये जाने योग्य है। इस स्थिति में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किसी भी खातेदार काश्तकार को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी के साथ–साथ अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के वादग्रस्त आराजी भूमियों का खसरा नम्बरान अलग–अलग होने से प्रथम दृष्टवा मामला प्रार्थी के साथ–साथ अप्रार्थीगण के पक्ष में भी होना पाया जाता है। चूंकि प्रथम दृष्टवा मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में होना पाया जाता है तो सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में भी होना पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से किसी भी सुरत में पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाए जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 10.10.2022 को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 12:13:05 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक ... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)